उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन (जलागम) अनुभाग
संख्या : 497 /ज0प्र0अनु0/2014–68(05)/2014
देहरादून : दिनांक : 11 फरवरी, 2015

शुद्धि पत्र

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत परियोजना टीम के रूप में कार्य करने हेतु पी0एन0जी0ओ0 उत्तरकाशी के चयन के अनुमोदन विषयक शासनादेश संख्या 497/ज0प्र0अनु0/2014/68(5)/2014 दिनांक 05 जनवरी, 2015 के स्थान पर 497/ज0प्र0अनु0/2014/68(5)/2014 दिनांक 05 फरवरी, 2015 पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश दिनांक 05 जनवरी, 2015 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

उक्त शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।

(ओमकार सिंह)
उप सचिव

संख्या : 497 /ज0प्र0अनु0/2015–68(05)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त कोषाधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
6. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

(ओमकार सिंह)
उप सचिव

संख्या–497/ज0प्र0अनु0/2014/68(5)/2014

प्रेषक,

ओमकार सिंह,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक
जलागम प्रबंधक निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग (जलागम)   देहरादून : दिनांक 5 जनवरी, 2015

विषय–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत परियोजना टीम के रूप में कार्य करने हेतु पी0एन0जी0ओ0 उत्तरकाशी के चयन का अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1123/3–32(PNGO) उत्तरकाशी/2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 एवं पत्रसंख्या 1258/3–32(PNGO) उत्तरकाशी/2013 दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागीय संस्तुति के दृष्टिगत M/S Asian Society for Entrepreneurship Education And Development (ASEED) B 9/6238 Vasantkunj, New Delhi-110070 को उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 में पी0एन0जी0ओ0 उत्तरकाशी के उत्तरदायित्वों क निर्वहन हेतु अनुमोदित करते हुये पॉच वर्षों की अवधि के लिये रु0 2,24,19,390.00 (रु0 दो करोड़ चौबीस लाख उन्नीस हजार तीन सौ नब्बे मात्र) की कंसलटेन्सी पर अनुमोदन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय विश्व बैंक की गाईड लाईन्स के अनुरूप शासन की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही कन्सलटेंसी पर उक्त लागत के अतिरिक्त अन्य कोई कर राज्य सरकार द्वारा देय नहीं होगा।

3. उक्त पी0एन0जी0ओ0 को देय कन्सल्टेंसी शुल्क का भुगतान परियोजना कार्यों के सम्पादन में उनके द्वारा किए गये योगदान की पुष्टि के उपरान्त ही किया जाएगा तथा तदनुसार प्रमाण पत्र संबंधित प्रभागीय उप परियोजना निदेशक एवं क्षेत्रीय परियोजना निदेशक द्वारा निदेशालय व शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा पी0एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा कर विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित पी0एन0जी0ओ0 द्वारा स्वीकृति का प्रयोजन पूर्ण किया जा रहा है।

5. उपरोक्त पर होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अनुदान संख्या–17 के अधीन लेखा शीर्षक 2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–800–अन्य योजनाएं–97–वाह्य सहायतित योजना–02–उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत मानक मद 42–अन्य व्यय में स्वीकृत धनराशि से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 135(P)/XXVII(4)/2014 दिनांक 31 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव

संख्या– /ज0प्र0अनु0/2014/68(5)/2014तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त कोषाधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव